आज अदालत

19.07.2019 पत्रावली पेश हुई । प्रतिवादीगण उपस्थित

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी श्री तहसीलदार बेगूं द्वारा राज्य सरकार की DILRMP योजना में खातेदारों के हिस्से दर्ज करना अनिवार्य होने से मौजा मंदवाई खा.स. 172 खसरा नम्बर 395,396,397,398,399,400 किता 6 रकबा 0.46 हैक्टेयर में खातेदारों के हिस्से की घोषणा व लिपिकिय त्रुटी दुरुस्तीकरण हेतु निवेदन किया हैं। उपस्थित प्रतिवादीगण से जानकारी मुताबिक श्री देवा के तीन पुत्र लाला दल्ला व भज्जा होकर प्रत्येक का बराबर हिस्सा बनता है। दल्ला के चार पुत्र चुन्नीलाल गिरधारी गंगाराम भूरा हैं; जिनमें से भूरा को भाई लाला के गोद रखा है। भज्जा के चार पुत्र नंदा घीसा मांगीलाल व भंवरलाल हैं।

रेकार्ड अवलोकन किया गया जिसके मुताबिक सैटलमेन्ट में उपरोक्त वर्णित आराजी किता 6 रकबा 0.46 हैक्टेयर लाला दल्ला भज्जा पिता देवा हि० $1/2$ घासी पेरवर पिता हीरा $1/2$ जाति भांडी सा० देह के नाम खातेदारी से दर्ज है। अतः लाला दल्ला व भज्जा का $1/6$ $1/6$ $1/6$ हिस्सा बनता हैं। नामान्तरण संख्या 81 मुताबिक दल्ला के चार पुत्र चुन्नीलाल गिरधारी गंगाराम व भूरा है। ना० सं० 116 से भूरा को लाला के गोदपुत्र व भज्जा के बनाम पुत्र नंदा घीसा मांगीलाल - भंवरलाल का नाम दर्ज की स्वीकृती हुई । परन्तु भूरा का नाम - प्राकृतिक पिता दल्ला की विरासत में भी दर्ज है। भूरा को लाला के गोद रखा हैं अतः उसके प्राकृतिक पिता दल्ला के हिस्से में भूरा का हक नहीं बनेगा तथा भूरा के वारिसान पप्पू व दुर्गा का हिस्सा $1/6$ रहेगा । दल्ला के हिस्से $1/6$ में गिरधारी गंगाराम व चुन्नीलाल के वारिसान का हिस्सा रहेगा एवं $1/6$ हिस्से में भज्जा के वारिसान चार पुत्रों का हिस्सा रहेगा ।

ना० सं० 116 में भज्जा के बजाए चार पुत्र नंदा घीसा मांगीलाल भंवरलाल पि० भज्जा का नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुई। परन्तु जमाबंदी रोटेशन अमल में तीन पुत्रों नंदा घीसा मांगीलाल का नाम दर्ज नहीं होकर एक पुत्र भंवरलाल का नाम दर्ज है जो लिपिकिय त्रुटी है। अतः नामान्तरण संख्या 116 के निर्णय अनुसार वर्तमान खाते में नंदा घीसा मांगीलाल का नाम जोड़ा जाकर भज्जा के वारिसान नंदा घीसा मांगीलाल भंवरलाल पिता भज्जा हि० ब० का हिस्सा $1/6$ रहेगा । अतः मौजा मंदवाई का खा० स० $\frac{172}{202775}$ आ० न० 395,396,397,398,399,400 किता 6 रकबा 0.46 हैक्टेयर में खाता निम्नानुसार दर्ज करने हेतु घोषणा किया जाना न्यायोचित है।

श्री पप्पू दुर्गा पि० भूरा हि० ब० $1/6$ भवाना रामा शान्ति कला पिता चुन्नीलाल जडावी बेवा चुन्नीलाल हि० ब० $1/18$ गिरधारी पिता दल्ला $1/18$ गंगाराम पि० दल्ला $1/18$ नंदा घीसा मांगीलाल भंवरलाल पि० भज्जा हि० ब० $1/6$ लादू रतनलाल प्रेमशंकर घीसीबाई शीरनीबाई पिता पेरवर हि० ब० $1/2$ जाति भांडी सा० देह खातेदार ।

उक्त निर्णय को पक्षकारो को सुनाया गया । सभी पक्षकार निर्णय से सहमत हैं तथा बिना दबाव व सहमती से हस्ताक्षर किये हैं। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार - की जाकर नम्बर से कम हो ।

[signature]

रतनलाल

भवानीलाल

रामलाल

सत्यनारायण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 58/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
वादी

बनाम

1. पप्पू पिता भूरा नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
2. दुर्गा पिता भूरा नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. भवाना पिता चुन्नीलाल नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. रामा पिता चुन्नीलाल नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. शांति पिता चुन्नीलाल नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. कला पिता चुन्नीलाल नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7. जडावी बेवा चुन्नीलाल नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
8. गिरधारी पिता दल्ला नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
9. गंगाराम पिता दल्ला नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
10. भंवरलाल पिता भज्या नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
11. लादू पिता पोखर नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
12. रतनलाल पिता पोखर नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
13. प्रेमशंकर पिता पोखर नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
14. धीसीबाई पिता पोखर नादी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
15. शीखीबाई पिता पोखर नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 15 निर्णय दिनांक : 19.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी./**DILRMP** के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/ परिपत्र/ कमांक/ बीआर/ एलआर/ एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126 /पार्ट–2/ 10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 19.07.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 863 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम नंदवाई में खाता संख्या 72 सं. 2072–75 आराजी संख्या 395, 396, 397, 398, 399, 400 किता–6 रकबा 0.46 हैक्टर श्री पप्पू दुर्गा पिता भूरा भंवाना रामा शांति कला पिता चुन्नीलाल जडावी बेवा चुन्नी गिरधारी गंगाराम पिता दल्ला भंवरलाल पिता भज्जा 1/2, लादू रतनलाल,प्रेमशंकर, धीसीबाई शीखीबाई पिता पोखर 1/2 जाति नांदी साकिन नंदवाई खातेदार के नाम पर दर्ज है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner

जमाबंदी अनुसार उक्त खाते में समस्त खातेदारान के हिस्से दर्ज नहीं है तथा तहसीलदार, बेगूँ द्वारा हिस्से की घोषणा व लिपिकीय त्रुटी दुरूस्तीकरण हेतू निवेदन किया है। राज्य सरकार का कार्यक्रम **DILRMP** के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें आनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश क्रमांक 10164–96 के तहत उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल. आर.एक्ट की धारा 136 के तहत हिस्से की घोषणा बाबत अनुशंसा की गई है।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 19.07.2019 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा नंदवाई में वादवर्णित आराजी किता– 6रकबा 0.46 हैक्टर भूमि उनकी सामलाती पैतृक भूमि है, एवं श्री देवा के तीन पुत्र लाला, दल्ला व भज्जा होकर प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा बनता है। दल्ला के चार पुत्र चुन्नीलाल, गिरधारी,गंगाराम व भूरा है जिनमें से भूरा को भाई लाला के गोद रखा है। भज्जा के चार पुत्र नंदा घीसा मांगीलाल व भंवरलाल है।

हमारे द्वारा पत्रावली प्रस्तूत दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसके मुतबिक सेटलमेन्ट में उपरोक्त वर्णित आराजी किता–6 रकबा 0.46 हैक्टर भूमि लाला, दल्ला, भज्जा पिता देवा हिस्सा 1/2, घासी, पोखर पिता हीरा 1/2 जाति नांदी साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज हे। अतः लाला दल्ला व भज्जा का 1/6–1/6–1/6 हिस्सा बनता है। नामान्तरण संख्या 81 के अनुसार दल्ला के चार पुत्र चुन्नीलाल, गिरधारी, गंगाराम व भूरा है। ना0सं0 116 से भूरा को लाला के गोदपुत्र व भज्जा के बजाय पुत्र नंदा घीसा मांगीलाल भंवरलाल का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है परन्तु भूरा का नाम प्राकृतिक पिता दल्ला के विरासत में भी दर्ज है। भूरा को लाला के गोद रखा है अतः उसके प्राकृतिक पिता दल्ला के हिस्से में भूरा का हक नहीं बनेगा तथा भूरा के वारिसान पप्पू व दुर्गा का हिस्सा 1/6 रहेगा। दल्ला के हिस्से 1/6 में गिरधारी, गंगाराम व चुन्नीलाल के वारिसान का हिस्सा रहेगा एवं 1/6 हिस्से में भज्जा के वारिसान चार पुत्रों का हिस्सा रहेगा। नामा0सं0 116 में भज्जा के बजाय चार पुत्र नंदा घीसा मांगीलाल, भंवरलाल पिता भज्जा का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है परन्तु जमाबंदी रोटेशन अमल में तीन पुत्रों नंदा घीसा मांगीलाल का नाम दर्ज नहीं होकर एक पुत्र भंवरलाल का नाम दर्ज है जो लिपिकीय त्रुटी है। अतः नामान्तरण संख्या 116 के निर्णय के अनुसार वर्तमान खाते में नंदा घीसा मांगीलाल का नाम जोडा जाकर भज्जा के वारिसान नंदा घीसा मांगीलाल भंवरलाल पिता भज्जा हिस्सा बराबर का हिस्सा 1/6 रहेगा। अतः मौजा नंदवाई के खाता संख्या 172 सं0 2072 से 75

-----लगातार

Scanned by CamScanner

आराजी संख्या 395, 396, 397, 398,399 व 400 किता–6 रकबा 0.46 हैक्टर में खाता निम्नानुसार किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई की आराजी संख्या 395, 396, ए397, 398,399 व 400 किता–6 रकबा 0.46 हैक्टर भूमि मे श्री पप्पू दुर्गा पिता भूरा हिस्सा बराबर 1/6, भंवाना रामा शांति कला पिता चुन्नीलाल, जडावी बेवा चुन्नीलाल हिस्सा बराबर 1/18, गिरधारी पिता दल्ला 1/18, गंगाराम पिता दल्ला 1/18, नंदा घीसा मांगीलाल भंवरलाल पिता भज्जा हिस्सा बराबर 1/6, लादू रतनलाल प्रेमशंकर घीसीबाई शीखीबाई पिता पोखर हिस्सा बराबर 1/2 जाति नांदी साकिन देह खातेदार की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

19/7/2019

(रमेशसीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 58/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. पप्पू पिता भूरा नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
2. दुर्गा पिता भूरा नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. भवाना पिता चुन्नीलाल नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. रामा पिता चुन्नीलाल नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. शांति पिता चुन्नीलाल नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. कला पिता चुन्नीलाल नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7. जडावी बेवा चुन्नीलाल नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
8. गिरधारी पिता दल्ला नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
9. गंगाराम पिता दल्ला नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
10. भंवरलाल पिता भज्या नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
11. लादू पिता पोखर नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
12. रतनलाल पिता पोखर नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
13. प्रेमशंकर पिता पोखर नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
14. घीसीबाई पिता पोखर नादी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
15. शीखीबाई पिता पोखर नांदी निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 19.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई की आराजी संख्या 395, 396, 397, 398,399 व 400 किता–6 रकबा 0.46 हैक्टर भूमि मे श्री पप्पू दुर्गा पिता भूरा हिस्सा बराबर 1/6, भंवाना रामा शांति कला पिता चुन्नीलाल, जडावी बेवा चुन्नीलाल हिस्सा बराबर 1/18, गिरधारी पिता दल्ला 1/18, गंगाराम पिता दल्ला 1/18, नंदा घीसा मांगीलाल भंवरलाल पिता भज्जा हिस्सा बराबर 1/6, लादू रतनलाल प्रेमशंकर घीसीबाई शीखीबाई पिता पोखर हिस्सा बराबर 1/2 जाति नांदी साकिन देह खातेदार की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ भिजवाई जाती है।

अंतिम डिकी आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मृद्रा से जारी की गई है।

19/7/2019

(रमेशसीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner